भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 367

मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएं

***367. श्री बलभद्र माझी:**

श्री राव राजेन्द्र सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का वर्ष-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विनिर्माण उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने में उक्त योजना की प्रभावकारिता के संबंध में क्षेत्र-वार और राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) पीएलआई योजना के परिणामस्वरूप राज्य-वार और क्षेत्र-वार विशेषकर पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने कतिपय क्षेत्रों में कम निष्पादन अथवा संवितरण में विलंब के कारणों का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 367 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विज़न को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई थी।

ये 14 क्षेत्र हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (v) फार्मास्यूटिकल्स औषधियां, (vi) विशेष इस्पात, (vii) दूरसंचार तथा नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (x) खाद्य उत्पाद, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (xiii) एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, तथा (xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक।

पीएलआई स्कीम्स का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने की किफायत करना तथा भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। पीएलआई स्कीमों के तहत चिह्नित सभी अनुमोदित क्षेत्र प्रमुख उत्पादों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के व्यापक मानदंडों का पालन करते हैं, जिससे भारत रोजगार, निर्यात और अर्थव्यवस्था के लिए समग्र आर्थिक लाभ में वृद्धि कर सकता है।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उचित अनुमोदन के बाद दिशानिर्देशों के साथ सभी 14 क्षेत्रों हेतु पीएलआई स्कीमों को अधिसूचित किया गया है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह (ईजीओएस) द्वारा इन स्कीमों की नियमित समीक्षा की जाती है।

सभी 14 क्षेत्रों में जून 2025 तक, 1.90 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 17 लाख करोड़ रुपए का वृद्धिमान उत्पादन/बिक्री हुई है और 12.3 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगार सृजित हुए हैं। पीएलआई स्कीमों से 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात दर्ज किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है।

अब तक, सभी 14 क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों के तहत 806 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित आवेदनों का क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। पीएलआई स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार/निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन स्कीमों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है, नौकरियों का सृजन हुआ है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। कुछ प्रमुख क्षेत्रगत प्रभावों में, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में दर्ज की गई कुल 2.66 लाख करोड़ रुपए की संचयी बिक्री है, जिसमें इस स्कीम के पहले तीन वर्षों में हासिल 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। इस स्कीम ने भारत को, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान थोक ड्रग्स के निवल आयातक (-1930 करोड़) से अब निवल निर्यातक (2280 करोड़) बनाने में योगदान दिया है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप घरेलू विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण औषधियों की मांग के बीच अंतर में बड़ी कमी भी आई है।

इसी प्रकार, चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत, 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिनमें लीनियर एक्सीलरेटर (लाइनैक), एमआरआई, सीटी-स्कैन, हार्ट वाल्व, स्टेंट, डायलाइज़र मशीन, सी-आर्म, कैथ लैब, मैमोग्राफ, एमआरआई कॉइल आदि जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में, उद्योग संघ और डीजीसीआईएस के अनुसार, मूल्य के संदर्भ में मोबाइलों का उत्पादन वर्ष 2020-21 के 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 146% बढ़कर वर्ष 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि के दौरान, मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोन का निर्यात वर्ष 2020-21 के 22,870 करोड़ रुपए से लगभग 775% बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2,00,000 करोड़ रुपए हो गया है।

दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएलआई स्कीम के तहत, 12 क्षेत्रों, नामत: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, व्हाइट गुड्स, ड्रोन और ड्रोन घटक, विशेष इस्पात, वस्त्र उत्पाद तथा ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए 21,689 करोड़ रुपए की कुल प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है। वर्ष-वार प्रोत्साहन संवितरण का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। संवितरण आदि के राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि लाभार्थी कंपनियों की देशभर में कई विनिर्माण इकाइयां हो सकती हैं।

प्रोत्साहन दावों के संवितरण का निपटान करने और उसे सुगम बनाने के लिए, मंत्रालयों/विभागों ने कई उपाय किए हैं जिनमें दावों के तिमाही आधार पर संवितरण का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा, विनियामक अनुमोदन प्रदान करने में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों और मंत्रालयों के बीच प्रभावी समन्वय से परियोजना को चालू करने में लगने वाले समय में कमी आई है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकसित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं से प्रोत्साहनों का दावा करने के लिए अपेक्षित अनुपालनों में कमी आई है। पोर्टल पर शिकायत निवारण तंत्र सहित दावा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से ऑनलाइन करने से भी दावों के समय पर संवितरण में सहायता मिली है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 367 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम संख्या	क्षेत्र	अनुमोदित आवेदन
1.	मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक	32
2.	इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद	27
3.	महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां	51
4.	चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण	32
5.	फार्मास्यूटिकल्स औषधियां	55
6.	एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी	4
7.	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	95
8.	दूरसंचार तथा नेटवर्किंग उत्पाद	42
9.	वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र	74
10.	खाद्य उत्पाद	182
11.	उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स	14
12.	व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी)	66
13.	विशेष इस्पात	109
14.	ड्रोन और ड्रोन घटक	23
	कुल	**806**

(*पीएलआई कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार*)

*****

अनुबंध-II

दिनांक 19.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 367 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम संख्या	**वित्त वर्ष**	**संवितरित प्रोत्साहन (करोड़ रुपए में)**
1	2022-23	2,968
2	2023-24	6,753
3	2024-25	10,112
4	2025-26 (जुलाई, 2025 तक)	1,856
कुल		**21,689**

*****